क्रम-संख्या-73

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 मार्च, 2016

चैत्र 2, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 591/79-वि-1–16-1(क)-15-2016
लखनऊ, 22 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 21 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 31-ग का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 31-ग में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक को, जो-

(क) 3 जनवरी, 1984 के पश्चात् किन्तु 22 नवम्बर, 1991 तक किसी ऐसे पद पर,-

(एक) जो अपने सम्यक् सृजन के पश्चात पहले कभी नहीं भरा गया था; या

(दो) जो अपने सम्यक् सृजन के पश्चात पहले भरा गया था और इसके रिक्त होने पर, उसे भरने की अनुमति निदेशक से प्राप्त की गई थी; या

(तीन) जो महाविद्यालय को स्वीकृत नवीन सम्बद्धता या मान्यता के निबन्धनों के अनुसरण में सृजित हुआ था और उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से मौलिक रिक्ति के उपलब्ध होने तक महाविद्यालय में निरन्तर कार्य करता रहा हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था;

(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा उसके निकाले जाने के पूर्व थी, तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, चाहे रिक्ति आयोग द्वारा अधिसूचित की गयी हो अथवा न की गयी हो;

(ग) नियमित नियुक्ति के लिए ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी अर्हतायें रखता था जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन उस पद के लिए अपेक्षित थी (या उसे ऐसी अर्हताओं से छूट प्रदान की गयी थी);

(घ) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो";

महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है, यदि उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो।

उद्देश्य और कारण

तदर्थ आधार पर नियुक्त अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980) की धारा 31-ग को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1992) द्वारा बढ़ाया गया था। अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों से आच्छादित न होने के कारण दिनांक 3 जनवरी, 1984 से 22 नवम्बर, 1991 की अवधि में नियुक्त 38 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं का विनियमितीकरण नहीं हो सका। उक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 4 फरवरी, 2009 द्वारा एक कमेटी गठित की गयी। समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि उक्त शिक्षकों की सेवाओं का विनियमितीकरण किये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 31-ग में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। उक्त समिति की संस्तुतियों एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्रस्ताव पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की संस्तुतियों के आलोक में उक्त धारा में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 591 (2)/LXXIX-V-1–16-1 (ka)-15-2016

Dated Lucknow, March 22, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 21, 2016.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 6 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2016.

Amendment of section 31-C of U.P. Act no. 16 of 1980

2. In section 31-C of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(1) Any teacher other than a Principal who-

(a) was appointed on *adhoc* basis after January 3, 1984 but not later than (November 22, 1991) on a post,—

(i) which after its due creation was never filled earlier ; or

(ii) which after its due creation was filled earlier and after its falling vacant, permission to fill it, was obtained from the Director; or

(iii) which came into being in pursuance of the terms of new affiliation or recognition granted to the College and has been continuously serving the College from the date of such *adhoc* appointment of the same cadre and grade in the same departmental, till the availability of the substantive vacancy;

(b) was appointed on *adhoc* basis under sub-section (1) of section 16 as it stood before its omission by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1992 whether or not the vacancy was notified by the Commission;

(c) possessed on the date of such commencement, the qualification required for regular appointment to the post (or was given relaxation from such qualification) under the provisions of the relevant Statutes in force on the date of such *adhoc* appointment;

(d) has been found suitable for regular appointment by a selection committee constituted under sub-section (2)";

may be given substantive appointment by the Management of the College if any substantive vacancy of the same cadre and grade in the same department is available.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to regularising the services of teachers appointed on *adhoc* basis section 31-C of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 (U.P. Act no. 16 of 1980) was inserted by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 2 of 1992). The services of thirty-eight teachers who were appointed in the period from January 3, 1984 to November 22, 1991 could not be regularised as it was not covered by the existing provisions of the Act. In order to regularise the services of the said teachers a committee was appointed by office memorandum dated February 4, 2009. The committee has recommended that for the regularisation of the services of said teachers it shall be necessary to amend section 31-C of the said Act. Considering the recommendations of said committee and on the proposal of the Director, Higher Education, Uttar Pradesh, Allahabad it has been decided to amend said section in the light of the recommendations of the said committee.

The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 **1028** राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(2390)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 **129** सा0 विधायी–26–03–2016–(2391)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।